संख्या:928/नौ-4-20-35ई/03

प्रेषक,

दीपक कुमार,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक: 23 जुलाई,2020**

विषयः उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा संवर्ग के सहायक अभियन्ता (सिविल) की विस्तारित अन्तिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-87/नौ-4-20-35ई/03, दिनांक-01.04.2020 द्वारा उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा संवर्ग के सहायक अभियन्ता (सिविल) की विस्तारित अनन्तिम ज्येष्ठता निर्गत करते हुए आपत्तियां मांगी गयी। प्राप्त आपत्तियां जिसका विस्तृत उल्लेख प्रस्तर-5 में है, के अनुसार निराकरण करते हुए सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 में ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में विद्यमान नियम-21(क)(9), नियम-24 तथा सपठित उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के सुसंगत प्राविधानों को अंगीकार करते हुए उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण (प्रवर) सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की जा रही है।

2- उक्त ज्येष्ठता सूची के निर्माण में निदेशक, नगर निकाय द्वारा प्रख्यापित अवर अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची पत्रांक-3/6518सा/22-सा.जे.ई./89, दिनांक-28.09.2007 का उपयोग किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त ज्येष्ठता सूची तैयार करने में निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाये गये हैं:-

(क) उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के नियम-21क के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची बनाये जाने का प्राविधान है। प्रश्नगत अभियंत्रण (प्रवर) सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता सूची के निर्धारण में सेवा नियमावली, 1966 के नियम-21क के उप नियम-9 में प्राविधान किया गया है।

(ख) इसी नियमावली के भाग-5 में सीधी भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इस प्रकार नियमावली के उक्त प्राविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करने के उपरान्त उक्त सूची के नीचे तदर्थ रूप से नियुक्त/प्रोन्नत अधिकारियों को, जो उक्त सेवा नियमावली के नियम-21(क) के उपनियम-7 के अनुसार विनियमित किये गये हो, को रखा गया है। अस्तु नियमावली में दिये गये नियम-21(क) के अनुसार लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को उनके लोक सेवा आयोग की सूची के क्रम में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रमांकित करते हुए तदर्थ रूप से नियुक्त/ प्रोन्नत अभियन्ताओं को उनके नियमितीकरण की तिथि के आधार पर क्रमांकित करते हुए नियमावली के नियम-21(क) के उपनियम-9 का अनुसरण किया गया है।

(ग) उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 के उपनियम-3 में निम्न व्यवस्था है:-

"कि जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां, पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाय, वहां पदोन्नत व्यक्तियों की सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के संबंध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनों स्रोतो के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।"

3- श्री डम्बर सिंह, अवर अभियन्ता (सिविल) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के कारण चयन वर्ष 2019-20 में दिनांक-23.10.2019 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की संस्तुति बन्द लिफाफे में रखी गयी। निदेशालय के आदेश दिनांक 14.01.2020 द्वारा श्री डम्बर सिंह के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही समाप्त हो जाने के कारण सीलबन्द लिफाफे को खोलने हेतु चयन समिति (दिनांक 23.06.2020) के समक्ष रखा गया। चयन समिति द्वारा श्री डम्बर सिंह को उनके कनिष्ठ श्री नानक चन्द्र की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर की गयी पदोन्नति की तिथि 31.10.2019 से नोशनल पदोन्नति तथा सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति किये जाने के उपरान्त श्री डम्बर सिंह का पदोन्नति आदेश दिनांक-07.07.2020 को निर्गत कर दिया गया है। अतः उक्त के दृष्टिगत श्री डम्बर सिह को उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) की विस्तारित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करते हुए उनके कनिष्ठ श्री नानक चन्द्र के ऊपर ज्येष्ठता अवधारित की गयी है।

4- चयन वर्ष 2019-20 में सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति कोटे में दिनांक-01.04.2020 से 30.06.2020 तक प्राप्त हो रही 03 रिक्तियों के सापेक्ष सहायक अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम विस्तारित ज्येष्ठता सूची दिनांक-01.04.2020 में श्री हरीन्द्र प्रसाद, श्री रमाशंकर राम एवं श्री राजेश कुमार के पदोन्नति आदेश निर्गत न होने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया था। दिनांक-01.05.2020 को श्री हरीन्द्र प्रसाद एवं दिनांक-30.06.2020 को श्री रमाशंकर राम एवं श्री राजेश कुमार के पदोन्नति आदेश निर्गत हो जाने के कारण उक्त विस्तारित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता क्रमांक-317 पर श्री हरीन्द्र प्रसाद, ज्येष्ठता क्रमांक-318 पर श्री रमाशंकर राम एवं ज्येष्ठता क्रमांक-319 पर श्री राजेश कुमार का नाम सम्मिलित कर लिया गया है।

5- शासनादेश संख्या-2826/नौ-4-14-35ई/03, दिनांक-24.01.15 द्वारा उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा संवर्ग के सहायक अभियन्ता (सिविल) के कुल 218 (क्रमांक-1 से क्रमांक-218 तक) सहायक अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है। तद्नुसार क्रमांक-218 से आगे क्रमांक-219 से क्रमांक-319 तक विस्तारित करते हुए सहायक अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की जा रही है।

6- उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण (प्रवर) सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) की परिचालित की गयी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक-01.04.2020 पर प्राप्त आपत्तियों एवं अन्य तथ्यों पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सम्यक विचारोपरान्त आपत्तियों को निम्नानुसार निस्तारित करते हुए ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा है:-

(1)श्री विपुल कुमार, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, शाहजहांपुर की आपत्ति-

उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक-**01.04.2020** के ज्येष्ठता क्रम संख्या-**265** पर श्री विपुल कुमार का गृह जनपद-लखनऊ अंकित है। श्री विपुल कुमार द्वारा जिलाधिकारी-हरदोई द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र एवं मतदाता सूची में अंकित पता की छायाप्रति संलग्न करते हुए अपना गृह जनपद-लखनऊ के स्थान पर हरदोई अंकित किये जाने का अनुरोध किया है।

आपत्ति का निस्तारण-

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र सं.-**02/**डी.आर./एनएमपी/एस-**10/ 2013-14,** दिनांक-**09.01.2018** द्वारा श्री विपुल कुमार के चयन की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी। उक्त संस्तुति में श्री विपुल कुमार द्वारा अपना स्थायी/वर्तमान पता ए-**1/25,** विराट खण्ड, पोस्ट व थाना-गोमतीनगर जनपद-लखनऊ अंकित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत ही श्री विपुल कुमार का गृह जनपद-लखनऊ अंकित किया गया है। जनपद परिवर्तन पर विचार एम0जी0ओ0 के प्रस्तर-**31** में निहित प्राविधानों के आलोक में तत्संबंधी प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। अतः श्री विपुल कुमार द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में की गई आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

(2)श्री अतुल पाण्डेय, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, फिरोजाबाद की आपत्ति-

उक्त सूची के ज्येष्ठता क्रमांक-**257** पर अंकित श्री अतुल पाण्डेय द्वारा अपना विनियमितीकरण दिनांक-**21.02.2007** से प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-**2826/नौ-4-14-35ई/03,** दिनांक **24.01.15** द्वारा जारी ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-**110** पर अंकित श्री राजवीर सिंह से ऊपर क्रमांक-**109** पर अंकित श्री मो0 अली से नीचे स्थान प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

आपत्ति का निस्तारण-

श्री अतुल पाण्डेय, सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर दि-**07.03.1995** को तदर्थ नियुक्ति हुई तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-**1163/नौ-4- 18-154**डब्लू/**06,** दिनांक-**11.04.2018** द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर विनियमित किया गया। श्री पाण्डेय द्वारा विनियमितीकरण दिनांक-**21.02.2007** से प्रदान करते हुए ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध पोषणीय नहीं है। अतः श्री अतुल पाण्डेय द्वारा की गई आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हैं।

(3)श्री राज कुमार, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन की आपत्ति-

उक्त ज्येष्ठता सूची के ज्येष्ठता क्रम संख्या-**310** पर श्री राज कुमार को रखा गया है, जिनकी अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक-**12.05.2003** को की गयी है। श्री राज कुमार की अवर अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक-**28.09.2007** के अनुसार उनका अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान निर्धारित किया गया है। श्री राज कुमार द्वारा अवर अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दि-**28.09.2007** को गलत तथ्यों, सिद्धान्तों, नियमों एवं केन्द्रीयित सेवा नियमावली,**1966** के नियम-**24** की गलत व्याख्या एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं एवं निर्णयों के विपरीत बताते हुए अवर अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता सूची दि-**28.09.2007** को दूषित बताते हुए अवर अभियन्ता (जल) की वरिष्ठता के निर्धारण को आधार मानते हुए प्रार्थी की प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण करते हुए ज्येष्ठता क्रमांक-**287** के ऊपर दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

<u>आपत्ति का निस्तारण-</u>

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) का पोषक संवर्ग अवर अभियन्ता (सिविल) है, जिसकी अन्तिम ज्येष्ठता सूची निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय लखनऊ द्वारा दिनांक **28.09.2007** को प्रकाशित की गई जो अन्तिम व निर्विवादित है, उक्त निर्विवादित ज्येष्ठता सूची में श्री राज कुमार का नाम क्रमांक-**374** पर अंकित है। सहायक अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दि**01.04.2020** पर श्री राज कुमार का सहायक अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता क्रमांक-**287** से **307** पर अंकित सहायक अभियन्तागण के ऊपर नियमानुसार ज्येष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः श्री राज कुमार द्वारा की गई आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हैं।

(4)<u>श्री सत्य प्रकाश तिवारी, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, लखनऊ की आपत्ति-</u>

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**87/**नौ-**4-20-35**ई/**03,** दिनांक-**01.04.2020** द्वारा उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण (प्रवर) सेवा के सहायक अभियन्ताओं की अनंतिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी है, जिसमें क्रमांक-**256** पर नाम क्रमांकित करते हुए सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति की तिथि त्रुटिवश **15.01.2018** अंकित किया गया है, जबकि शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक **01.07.2017** द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति दिनांक-**01.07.2017** को प्रदान की गयी है। अतः श्री तिवारी द्वारा पदोन्नति की तिथि संशोधन करते हुए सही तिथि **01.07.2017** अंकित करने का अनुरोध किया गया है।

<u>आपत्ति का निस्तारण-</u>

श्री सत्य प्रकाश तिवारी, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, लखनऊ की शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**1965/**नौ-**4-17-81**ई/**08**टीसी-पअ, दिनांक- **01.07.2017** द्वारा अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति की गयी थी। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**157/**नौ- **4-18-81**ई/**08**टी.सी.-पअ, दिनांक-**15.01.2018** द्वारा नियमित पदोन्नति प्रदान की गयी। उल्लेखनीय है कि ज्येष्ठता सूची में नियमित नियुक्ति/पदोन्नति होने की तिथि से ही नाम अंकित किया जाता है। अतः श्री तिवारी द्वारा की गई आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

(5)<u>श्री आशुतोष गुप्ता, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, लखनऊ की आपत्ति-</u>

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**1963/**नौ-**4-17-81**ई/**08**टी.सी.-पअ दिनांक-**01** जुलाई, **2017** द्वारा श्री गुप्ता की पदोन्नति हुई। तदोपरान्त **01** जुलाई, **2017** को अपराह्न में योगदान आख्या अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, रायबरेली को प्रस्तुत किया। अवगत कराना है कि अवर अभियन्ता की ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-**303** पर इनका नाम अंकित है, इनके ऊपर श्री एस**0**पी**0** तिवारी जिनका क्रमांक-**302** व आर**0**के**0** सिंह क्रम संख्या-**301** पर अंकित है, उसी ज्येष्ठता सूची के आधार पर ये तीनों अभियन्ताओं की पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर **01** जुलाई, **2017** को किया गया था। सहायक अभियन्ता की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की गयी है। उसमें से इनके नाम के ऊपर श्री अतुल पाण्डेय, सहायक अभियन्ता का नाम क्रम संख्या-**257** पर अंकित है, जो कि नियमानुसार गलत है। श्री आशुतोष गुप्ता का नाम ज्येष्ठता क्रमांक-**258** के स्थान पर **257** अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

आपत्ति का निस्तारण-

श्री आशुतोष गुप्ता, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, लखनऊ की शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1963/नौ-4-17-81ई/08टी.सी.-पअ, दिनांक-01.07.2017 द्वारा अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति की गयी थी तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-157/नौ-4-18-81ई/08टी.सी.-पअ, दिनांक-15.01.2018 द्वारा नियमित पदोन्नति प्रदान की गयी। अतः श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा की गई आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

(6)श्री महेन्द्र कुमार जैन, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, आगरा की आपत्ति-

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा संवर्ग के सहायक अभियन्ता (सिविल) की विस्तारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या-87/नौ-4-20-35ई/03, दिनांक-01.04.2020 में ज्येष्ठता क्रमांक-284 पर अंकित श्री महेन्द्र कुमार जैन के स्थान पर श्री महेन्द्र कुमार अंकित है। श्री महेन्द्र कुमार जैन द्वारा हाईस्कूल/इण्टर मीडिएट का प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न करते हुए उसमें अंकित नाम श्री महेन्द्र कुमार जैन है। अतः श्री महेन्द्र कुमार के स्थान पर श्री महेन्द्र कुमार जैन अंकित करने का अनुरोध किया गया है।

आपत्ति का निस्तारण-

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) का पोषक संवर्ग अवर अभियन्ता (सिविल) है जिसकी अन्तिम ज्येष्ठता सूची निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा दिनांक-28.09.2007 को प्रकाशित की गई जो अन्तिम व निर्विवाद है, जिसमें ज्येष्ठता क्रमांक-334 पर श्री महेन्द्र कुमार नाम अंकित है। जिसके कारण सहायक अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक-01.04.2020 में श्री महेन्द्र कुमार नाम अंकित हुआ है। श्री महेन्द्र कुमार द्वारा अपनी सेवा पुस्तिका की छायाप्रति/हाई स्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अपना नाम श्री महेन्द्र कुमार के स्थान पर श्री महेन्द्र कुमार जैन अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। सेवा पुस्तिका/ हाईस्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति में इनका नाम श्री महेन्द्र कुमार जैन अंकित है। अतः सेवा पुस्तिका एवं हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में अंकित नाम के आधार पर त्रुटि का सुधार करते हुए इनका नाम श्री महेन्द्र कुमार जैन कर दिया गया है।

(7)श्री यशवीर सिंह, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, कानपुर की आपत्ति-

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा संवर्ग के सहायक अभियन्ता (सिविल) की विस्तारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या-87/नौ-4-20-35ई/03, दिनांक-01.04.2020 में ज्येष्ठता क्रमांक-287 पर अंकित श्री यशवीर सिंह द्वारा निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अवर अभियन्ता (सिविल) की दिनांक-28.09.2007 को प्रकाशित की गई ज्येष्ठता सूची जो अन्तिम व निर्विवाद है, को गलत तथ्यों, सिद्धान्तों एवं नियमों पर आधारित/दूषित बताते हुए अपना ज्येष्ठता क्रमांक-287 के ऊपर दर्ज कराये जाने तथा अपनी जन्म तिथि 17.01.1962 को गलत बताते हुए उसके स्थान पर 01.07.1962 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आपत्ति का निस्तारण-

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) का पोषक संवर्ग अवर अभियन्ता (सिविल) है जिसकी अन्तिम ज्येष्ठता सूची निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा दिनांक-28.09.2007 को प्रकाशित की गई जो अन्तिम व निर्विवाद है, जिसमें

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

ज्येष्ठता क्रमांक-**373** पर श्री यशवीर सिंह का नाम अंकित है, जिसके आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक-**01.04.2020** में श्री यशवीर सिंह को ज्येष्ठता क्रमांक-**287** पर रखा गया है, जो नियमानुसार है।

श्री यशवीर सिंह द्वारा अपनी सेवा पुस्तिका की छायाप्रति/हाई स्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अपनी जन्म तिथि **01.07.1962** बताई है। उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक **01.04.2020** में त्रुटिवश इनकी जन्म तिथि **17.01.62** अंकित हो गयी है। अतः उक्त त्रुटि संशोधित कर इनकी जन्म तिथि **01.07.62** अंकित कर दी गयी है।

(8)श्री नानक चन्द्र, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, मेरठ की आपत्ति-

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा संवर्ग के सहायक अभियन्ता (सिविल) की विस्तारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या-**87/नौ-4- 20-35ई/03,** दिनांक-**01.04.2020** में ज्येष्ठता क्रमांक-**301** पर अंकित श्री नानक चन्द्र की शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा (सिविल) अंकित है।

श्री नानक चन्द्र द्वारा नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त कर जामिया मिलिया इस्लामियां विश्वविद्यालय से बी.ई.(सिविल) की डिग्री प्राप्त की गई। प्रभारी कार्मिक, नगर निगम, मेरठ द्वारा श्री नानक चन्द की बी.ई.(सिविल) की डिग्री छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए इनकी शैक्षिक योग्यता में अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आपत्ति का निस्तारण-

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) का पोषक संवर्ग अवर अभियन्ता (सिविल) है जिसकी अन्तिम ज्येष्ठता सूची निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा दिनांक-**28.09.2007** को प्रकाशित की गई जो अन्तिम व निर्विवाद है, जिसमें ज्येष्ठता क्रमांक-**363** पर श्री नानक चन्द्र की शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा (सिविल) अंकित है, जिसके आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक-**01.04.2020** में श्री नानक चन्द की शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा (सिविल) अंकित हुई है। श्री नानक चन्द द्वारा नियमानुसार बी.ई.(सिविल) की डिग्री प्राप्त की गई। प्रभारी कार्मिक, नगर निगम, मेरठ द्वारा उपलब्ध करायी गई बी.ई.(सिविल) की डिग्री की छायाप्रति के आधार पर श्री नानक चन्द की शैक्षिक योग्यता बी.ई.(सिविल) कर दी गयी है।

(9)श्री घनश्याम चित्रगुप्त, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर पालिका परिषद, बस्ती की आपत्ति-

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा संवर्ग के सहायक अभियन्ता (सिविल) की विस्तारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या-**87/नौ-4-20-35ई/03,** दिनांक-**01.04.2020** में ज्येष्ठता क्रमांक-**269** पर अंकित है, जिस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए श्री घनश्याम चित्रगुप्त द्वारा अपनी ज्येष्ठता क्रमांक-**269** के स्थान पर **263** अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया हैं।

आपत्ति का निस्तारण-

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, **1991** के नियम-**8(3)** के अनुसार पदोन्नति व्यक्तियों एवं सीधी भर्ती के व्यक्तियों का कोटा **1:1** के अनुपात में निर्धारित है। श्री चित्रगुप्त की ज्येष्ठता उक्त नियम के अनुसार अवधारित की गयी है। अतः श्री घनश्याम चित्रगुप्त द्वारा की गई आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(10)श्री ईश्वर चन्द्र सिंह यादव, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, गाजियाबाद की आपत्ति-

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा संवर्ग के सहायक अभियन्ता (सिविल) की विस्तारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या-87/नौ-4-20-35ई/03, दिनांक-01.04.2020 में ज्येष्ठता क्रमांक-279 पर अंकित श्री ईश्वर चन्द्र सिंह यादव के स्थान पर श्री ईश्वर चन्द्र यादव अंकित है। जन्म तिथि 12.07.61 के स्थान पर 12.06.61 अंकित है। श्री ईश्वर चन्द्र सिंह यादव द्वारा हाईस्कूल का प्रमाण पत्र/सेवा पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न करते हुए उसमें अंकित नाम श्री ईश्वर चन्द्र सिंह यादव और जन्मतिथि 12.07.61 अंकित करने तथा मौलिक नियुक्ति की तिथि 10.10.18 के स्थान पर 20.11.18 का अनुरोध किया गया है।

आपत्ति का निस्तारण-

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) का पोषक संवर्ग अवर अभियन्ता (सिविल) है जिसकी अन्तिम ज्येष्ठता सूची निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा दिनांक-28.09.2007 को प्रकाशित की गई जो अन्तिम व निर्विवाद है, जिसमें ज्येष्ठता क्रमांक-279 पर इनका नाम श्री ईश्वर चन्द्र यादव एवं जन्मतिथि 12.06.61 अंकित होने के कारण सहायक अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक-01.04.2020 में इनका नाम श्री ईश्वर चन्द्र यादव एवं जन्म तिथि 12.06.61 अंकित हुआ है तथा मौलिक नियुक्ति की तिथि 20.11.18 के स्थान पर 10.10.18 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री ईश्वर चन्द्र यादव की सेवा पुस्तिका/हाई स्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति के आधार पर उक्त त्रुटि संशोधित कर इनका नाम श्री ईश्वर चन्द्र सिंह यादव और जन्म तिथि 12.07.61 अंकित कर दी गयी है तथा मौलिक नियुक्ति की तिथि 10.10.18 अंकित कर दिया गया है।

(11)श्री राजवीर सिंह, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर पालिका परिषद, हापुड़ की आपत्ति-

उक्त ज्येष्ठता सूची के ज्येष्ठता क्रम संख्या-313 पर श्री राजवीर सिंह को रखा गया है, जिनकी अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक-12.05.2003 को की गयी है। श्री राजवीर सिंह की अवर अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक-28.09.2007 के अनुसार उनका अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान निर्धारित किया गया है। श्री राजवीर सिंह द्वारा अवर अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दि-28.09.2007 को गलत तथ्यों, सिद्धान्तों, नियमों एवं केन्द्रीयित सेवा नियमावली,1966 के नियम-24 की गलत व्याख्या एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं एवं निर्णयों के विपरीत बताते हुए अवर अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता सूची दिनांक-28.09.2007 को दूषित बताते हुए अवर अभियन्ता (जल) की वरिष्ठता के निर्धारण को आधार मानते हुए प्रार्थी की प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण करते हुए ज्येष्ठता क्रमांक-287 के ऊपर दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आपत्ति का निस्तारण-

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) का पोषक संवर्ग अवर अभियन्ता (सिविल) है, जिसकी अन्तिम ज्येष्ठता सूची निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय लखनऊ द्वारा दिनांक 28.09.2007 को प्रकाशित की गई जो अन्तिम व निर्विवाद है। परन्तु सहायक अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.04.2020 पर श्री राजवीर सिंह द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता क्रमांक-287 से 307 पर अंकित सहायक अभियन्तागण को अपने से कनिष्ठ बताते हुए उन समस्त कार्मिकों को उनके ऊपर ज्येष्ठता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रदान नहीं की जा सकती है, का उल्लेख करते हुए अपने से नीचे रखे जाने का अनुरोध किया गया है जो नियम विरूद्ध है। अवर अभियन्ता (सिविल) की उक्त निर्विवादित ज्येष्ठता सूची में श्री राजवीर सिंह का नाम क्रमांक-313 पर अंकित है, जो उक्त कार्मिकों के नीचे है। अतः श्री राजवीर सिंह द्वारा की गई आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हैं।

(12)श्री दीपांकर सिंह, सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन की आपत्ति-

उक्त सूची के ज्येष्ठता क्रमांक-259 पर अंकित श्री दीपांकर सिंह द्वारा पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 में दिनांक-13.06.2016 से दिनांक 07.06.18 त तक सहायक अभियन्ता के पद पर सेवा की गयी। नियमानुसार कार्यमुक्त होकर श्री दीपांकर सिंह द्वारा उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर दिनांक-08.06.2018 के पूर्वाहन में कार्यभार ग्रहण किया गया। नगर विकास अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-603/नौ-4- 19-15ई/19, दिनांक-09.07.2019 द्वारा उनकी पूर्व की सेवा दि-13.06.2016 से 07.06.2018 को वर्तमान सेवा में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार उनकी सेवा दिनांक-13.06.2016 से मानते हुए उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा संवर्ग की सहायक अभियन्ता (सिविल) की विस्तारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका ज्येष्ठता क्रमांक-227 व 228 के बीच में स्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आपत्ति का निस्तारण-

अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र सं.-02/डी.आर./एनएमपी/एस-10/2013-14, दिनांक-09.01.2018 द्वारा उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण (प्रवर) सेवा संवर्ग के सहायक अभियन्ता (सिविल) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के सापेक्ष श्री दीपांकर सिंह के चयन की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी। तदोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-828/नौ-4-18- 01ई/99टी.सी., दिनांक-5.04.2018 को नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन में नियुक्ति प्रदान की गयी, तत्क्रम में श्री सिंह द्वारा दिनांक-08.06.18 को कार्यभार ग्रहण किया गया। श्री सिंह की पूर्व की सेवा को मात्र सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये जोड़ी गयी है। श्री सिंह द्वारा जोड़ी गयी पूर्व की सेवा दिनांक-13.06.2016 से ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध पोषणीय नहीं है। अतः श्री दीपांकर सिंह द्वारा की गई आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हैं।

7- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों पर प्राप्त आपत्तियों का उपरोक्तानुसार निस्तारण करते हुए उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा संवर्ग के सहायक अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची संलग्न विवरणानुसार प्रकाशित की जाती है।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-928(1)/नौ-4-20-35ई/03, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संबंधित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उपर्युक्त संदर्भित अधिकारियों के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या: 928 /नौ-४-२०-३५ई/०३, 23 जुलाई, २०२० का संलग्नक

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण (सिविल) सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) की

<u>विस्तारित अन्तिम ज्येष्ठता सूची</u>

क्र.सं.	ज्येष्ठता क्रमांक	अभियन्ता का नाम/ सर्वश्री	गृह जनपद	जन्म तिथि	शैक्षिक योग्यता	मौलिक नियुक्ति/ विनियमितीकरण की तिथि	भर्ती का स्रोत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	219	मनमोहन शर्मा	मथुरा	10.01.58	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	13.02.15	पदोन्नत
2	220	राकेश कुमार सिंह	प्रयागराज	01.01.58	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	13.02.15	पदोन्नत
3	221	राम प्रकाश तिवारी	बस्ती	07.12.58	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	13.02.15	पदोन्नत
4	222	परमहंश पाण्डेय	बलिया	01.07.56	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	13.02.15	पदोन्नत
5	223	अरूण कुमार मिश्रा	बरेली	18.07.57	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	13.02.15	पदोन्नत
6	224	महेश कुमार जायसवाल	गोण्डा	10.10.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	13.02.15	पदोन्नत
7	225	दिनेश कुमार	हरदोई	05.07.57	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	13.02.15	पदोन्नत
8	226	राम सकल यादव	गोरखपुर	22.01.56	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	13.02.15	पदोन्नत
9	227	शिव रतन गुप्ता	इटावा	02.10.57	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	02.03.15	पदोन्नत
10	228	सुशील कुमार सक्सेना	लखनऊ	20.09.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	21.10.16	पदोन्नत
11	229	रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव	बिहार	23.05.57	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	21.10.16	पदोन्नत
12	230	राकेश चन्द्र पाण्डेय	फैजाबाद	04.09.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	21.10.16	पदोन्नत
13	231	सुरेन्द्र पाल मौर्य	बदायूं	01.01.57	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	21.10.16	पदोन्नत
14	232	लाल जी शुक्ला	गोण्डा	01.01.57	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	21.10.16	पदोन्नत
15	233	सुरेश चन्द्र पाण्डेय	सुलतानपुर	31.05.58	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	21.10.16	पदोन्नत
16	234	जमादार सिंह	देवरिया	01.07.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	21.10.16	पदोन्नत
17	235	लाल चन्द्र गुप्ता	प्रतापगढ़	21.09.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	21.10.16	पदोन्नत

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

18	236	ईश्वर चन्द्र त्यागी	मुजफ्फरनगर	20.03.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	21.10.16	पदोन्नत
19	237	ओ0पी0 पाण्डेय	सुलतानपुर	14.12.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
20	238	सुधीर चावला	लखनऊ	24.09.57	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
21	239	किशोरी सिंह	अलीगढ़	04.09.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
22	240	राधेश्याम चैबे	जौनपुर	12.08.57	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
23	241	सुनहरी लाल शर्मा	अलीगढ़	01.02.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
24	242	नरेश चन्द्र द्विवेदी	एटा	15.06.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
25	243	जगतपाल	फतेहपुर	12.10.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
26	244	अंगद सिंह	गाजीपुर	25.12.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
27	245	अब्दुल रऊफ	कानपुर देहात	15.06.58	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
28	246	लाल बाबू सिंह	बलिया	01.07.60	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
29	247	प्रमोद कुमार श्रीवास्तव	वाराणसी	22.10.61	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
30	248	सुरेश कुमार सिंह	बस्ती	01.01.60	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
31	249	अमर कुमार मिश्रा	कानपुर	04.06.61	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
32	250	उदय नारायण सिंह	बलिया	01.02.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
33	251	मुसाफिर सिंह यादव	गाजीपुर	03.04.58	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
34	252	सतीश कुमार	बलिया	01.07.62	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
35	253	अनिल कुमार त्यागी	मुजफ्फरनगर	07.02.62	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	27.02.17	पदोन्नत
36	254	अरविन्द कुमार सिंह	शाहजहांपुर	01.08.62	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	30.06.17	पदोन्नत
37	255	राम किशोर सिंह	लखनऊ	01.01.63	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.07.17	पदोन्नत
38	256	सत्य प्रकाश तिवारी	बलिया	01.07.61	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	15.01.18	पदोन्नत

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

39	257	अतुल पाण्डेय	मैनपुरी	01.03.65	बी.ई. (सिविल)	11.04.18	सीधी भर्ती (नियम-31)
40	258	आशुतोष गुप्ता	गोण्डा	18.08.61	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	15.01.18	पदोन्नत
41	259	दीपांकर सिंह	मैनपुरी	29.03.90	बी.ई. (सिविल)	05.04.18	सीधी भर्ती (लो.से.आ.)
42	260	दिनेश कुमार राजपूत	बिजनौर	15.01.60	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	10.10.18	पदोन्नत
43	261	शिरीष सिंह	वाराणसी	16.03.91	बी.टेक (सिविल)	03.05.18	सीधी भर्ती (लो.से.आ.)
44	262	राजपाल सिंह यादव	अलीगढ़	19.12.62	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	06.09.18	पदोन्नत
45	263	अगम कटियार	कानपुर नगर	22.10.93	बी.टेक (सिविल)	05.04.18	सीधी भर्ती (लो.से.आ.)
46	264	मनोज कुमार गुप्ता	पीलीभीत	05.04.62	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	15.01.18	पदोन्नत
47	265	विपुल कुमार	लखनऊ	05.12.93	बी.टेक (सिविल)	03.05.18	सीधी भर्ती (लो.से.आ.)
48	266	सुरेन्द्र सिंह	जालौन	28.07.61	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	15.01.18	पदोन्नत
49	267	सुधीर कुमार कनौजिया	उन्नाव	05.05.62	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	15.01.18	पदोन्नत
50	268	प्रमोद कुमार वर्मा	फैजाबाद	24.10.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	15.01.18	पदोन्नत
51	269	घनश्याम चित्रगुप्त	बस्ती	17.07.62	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	02.02.18	पदोन्नत
52	270	गुलाम अहमद सिद्दकी	बस्ती	30.01.62	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	20.11.18	पदोन्नत
53	271	शशि भूषण तिवारी	देवरिया	15.08.61	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	02.02.18	पदोन्नत
54	272	पारस नाथ पाल	वाराणसी	05.02.60	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	05.03.18	पदोन्नत
55	273	मुन्नू लाल त्रिपाठी	बांदा	02.01.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	05.04.18	पदोन्नत
56	274	सुरेन्द्र कुमार	प्रतापगढ़	12.05.60	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	03.05.18	पदोन्नत
57	275	अशोक कुमार शर्मा	अलीगढ़	21.04.62	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	02.06.18	पदोन्नत
58	276	जहूर आलम	देवरिया	01.07.60	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	20.11.18	पदोन्नत
59	277	शेष नाथ राय	बलिया	01.01.61	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	10.10.18	पदोन्नत
60	278	अशोक कुमार पाठक	बलिया	15.07.60	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	20.11.18	पदोन्नत

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

61	279	ईश्वर चन्द्र सिंह यादव	गाजीपुर	12.07.61	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	10.10.18	पदोन्नत
62	280	सुनील कुमार सिंह	बलिया	25.06.60	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	10.10.18	पदोन्नत
63	281	संजय निगम	उन्नाव	03.10.60	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.11.18	पदोन्नत
64	282	यमुना सिंह	उन्नाव	15.09.61	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.11.18	पदोन्नत
65	283	कंचन श्रीवास्तव	हरदोई	15.06.61	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	07.01.19	पदोन्नत
66	284	महेन्द्र कुमार जैन	ललितपुर	09.04.61	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.02.19	पदोन्नत
67	285	राजेन्द्र कुमार यादव	फतेहपुर	18.12.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.02.19	पदोन्नत
68	286	महेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव	मिर्जापुर	28.06.59	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.02.19	पदोन्नत
69	287	प्रवीण कुमार	सहारनपुर	01.07.68	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.03.19	पदोन्नत
70	288	दिनेश कुमार मिश्रा	सुलतानपुर	10.05.69	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.04.19	पदोन्नत
71	289	अशोक कुमार यादव	प्रयागराज	07.02.71	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	24.07.19	पदोन्नत
72	290	विनोद कुमार सोनी	ग्वालियर (म0प्र0)	10.07.62	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	24.07.19	पदोन्नत
73	291	सिमे हैदर	मुजफ्फरनगर	10.08.65	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	24.07.19	पदोन्नत
74	292	दानिश हैदर नकवी	लखनऊ	01.10.67	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	24.07.19	पदोन्नत
75	293	महेश चन्द्र शुक्ला	बरेली	10.09.59	डिप्लोमा (डि0सि0ई0)	26.09.19	पदोन्नत
76	294	संजय कुमार पाण्डेय	जबलपुर (म0प्र0)	16.12.68	बी.ई. (सिविल)	31.10.19	पदोन्नत
77	295	रईश उज्जमा अंसारी	अलीगढ़	18.09.60	बी.ई. (सिविल)	31.10.19	पदोन्नत
78	296	रईस अहमद	अलीगढ़	30.06.65	बी.ई. (सिविल)	31.10.19	पदोन्नत
79	297	अभय कुमार	पटना (बिहार)	04.12.65	बी.ई.	31.10.19	पदोन्नत
80	298	जयराम यादव	बलिया	01.07.66	बी.ई. (सिविल)	31.10.19	पदोन्नत
81	299	जगदीश प्रसाद	उन्नाव	11.01.68	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	31.10.19	पदोन्नत

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

82	300	राजकुमार भद्रसेन	जालौन	21.12.65	बी.ई. (सिविल)	31.10.19	पदोन्नत
83	301	डम्बर सिंह	अलीगढ़	03.03.66	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	31.10.19	पदोन्नत
84	302	नानक चन्द्र	मुरादाबाद	03.06.66	बी.ई. (सिविल)	31.10.19	पदोन्नत
85	303	शोभाराम मगरैया	झांसी	30.07.63	बी.ई. (सिविल)	31.10.19	पदोन्नत
86	304	सतीश चन्द्र कमल	कानपुर देहात	04.11.67	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	31.10.19	पदोन्नत
87	305	सतीश कुमार रावत	लखनऊ	08.10.68	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	31.10.19	पदोन्नत
88	306	श्याम सिंह	सहारनपुर	22.07.70	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	31.10.19	पदोन्नत
89	307	झिल्लूराम	गाजीपुर	11.04.71	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	31.10.19	पदोन्नत
90	308	जियालाल	सुलतानपुर	03.03.67	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.11.19	पदोन्नत
91	309	चन्द्रपाल सिंह	बुलन्दशहर	15.09.60	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.11.19	पदोन्नत
92	310	यशवीर सिंह	आगरा	01.07.62	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.11.19	पदोन्नत
93	311	राजकुमार	इटावा	12.05.62	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.01.2020	पदोन्नत
94	312	आनन्द कुमार	इटावा	05.07.62	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.01.2020	पदोन्नत
95	313	अवतार रायल	इटावा	04.03.63	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.01.2020	पदोन्नत
96	314	राजवीर सिंह	मैनपुरी	15.01.64	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.02.2020	पदोन्नत
97	315	शिवपाल सिंह	बिजनौर	15.03.64	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.02.2020	पदोन्नत
98	316	देवी सिंह	बुलन्दशहर	25.07.64	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.03.2020	पदोन्नत
99	317	हरीन्द्र प्रसाद	बलिया	01.01.62	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.05.2020	पदोन्नत
100	318	रमाशंकर राम	बलिया	01.07.64	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.07.2020	पदोन्नत
101	319	राजेश कुमार	इटावा	05.01.68	डिप्लोमा (डि.सी.ई.)	01.07.2020	पदोन्नत

(बृजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।